न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 15 / 2018

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सुगनाराम पुत्र भगवाना आयु 67 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

अपीलांट

सत्यमेव जयते

बनाम

Web Copy - Not Official

1 सन्तोष देवी पत्नी दशरथ आयु 45 साल ।
2 रामचन्द्र पुत्र जतनाराम आयु 50 साल।
3 मोहन पुत्र मुन्शी आयु 25 साल।
4 सुनील पुत्र मुन्शी आयु 18 साल जाति समस्त मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
5 सुमन पत्नी विकास पुत्र मूलचन्द आयु 26 साल जाति मीणा निवासी मण्डोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
6 सुनिता पत्नी राहुल पुत्र मूलचन्द आयु 23 साल जाति मीणा निवासी मण्डोली तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
7 माया पुत्री मुन्शी आयु 20 साल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

8 पार्वती पत्नी मुन्शी आयु 45 साल।
9 छोटी पत्नी जतनाराम आयु 80 साल जाति समस्त मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
10 जगमाल पुत्र रामकुमार आयु 70 साल जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 16 पिलानी तहसील सुरजगढ़ जिला झुंझुनू।
11 श्रीराम पुत्र रामकुमार आयु 63 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू हाल आबाद दादी के फाटक के पास जयपुर।
12 माईकल पुत्र दशरथ आयु 18 साल।
13 राजपाल पुत्र दशरथ आयु 13 साल जरिये कुदरती माता सन्तोष देवी पत्नी दशरथ।
14 कमला पत्नी मातुराम आयु 50 साल।
15 मुकेश पुत्र मातुराम आयु 25 साल।
16 राजेन्द्र पुत्र मातुराम आयु 28 साल जाति समस्त मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
17 सुमित्रा पुत्री मातुराम आयु 25 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू पत्नी मुकेश जाति मीणा निवासी लुटू जिला झुंझुनू।
18 अनिता पुत्री मातुराम आयु 23 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू पत्नी भूपेश जाति मीणा निवासी लुटू जिला झुंझुनू।
19 सरोज पुत्री मातुराम आयु 32 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू पत्नी महेन्द्र जाति मीणा निवासी क्यामसर तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
20 प्रहलाद पुत्र रामेदवा आयु 50 साल।
21 नेमीचन्द पुत्र रामेदवा आयु 40 साल।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

22 ओनाड़ सिंह पुत्र महावीर आयु 60 साल।
23 विक्रमसिंह पुत्र महावीर आयु 50 साल।
24 सत्यपाल सिंह पुत्र महावीर आयु 40 साल।
25 पवन कुमार पुत्र महावीर आयु 35 साल जाति समस्त मीणा निवासीगण सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
26 अनारी पुत्री महावीर आयु 55 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिडावा जिला झुंझुनू पत्नी भरथरी जाति मीणा निवासी सुजास तहसील व जिला सीकर।
27 इमरता पुत्री महावीर आयु 53 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
28 रेशमा पुत्री महावीर आयु 46 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिडावा जिला झुंझुनू पत्नी बृजलाल जाति मीणा निवासी डाबला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर।
29 जानकी पत्नी महावीर आयु 75 साल जाति मीणा निवासी सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
30 सुभाष पुत्र द्वारका आयु 40 साल ।
31 मन्जु पुत्री द्वारका आयु 38 साल।
32 अणीच देवी पत्नी शीशपाल आयु 80 साल।
33 गिरधारी पुत्र शीशपल आयु 60 साल।
34 मुरारी पुत्र शीशपाल आयु 55 साल।
35 रघुवीर पुत्र शीशपाल आयु 45 साल समस्त जाति मीणा निवासीगण वार्ड नं. 19 पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
36 विद्या पुत्री शीशपाल आयु 43 साल पत्नी राधेश्याम मीणा निवासी शंकर टाकीज के सामने वार्ड नं. 23 नोहर जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद ए–403 रेल्वे कॉलोनी जगतपुरा जयपुर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

37 कौशल्या पुत्री शीशपाल आयु 40 साल पत्नी सुशील कुमार मीणा निवासी शंकर टाकीज के सामने वार्ड नं. 23 नोहर जिला हनुमानगढ़।
38 विमला पत्नी सज्जन आयु 40 साल जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 19 पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।
39 प्रभुदयाल पुत्र बजरंगलाल आयु 60 साल जाति मीणा निवासी लोयल तहसील चिडावा जिला झुंझुनू।
40 एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा सुलताना जरिये प्रबन्धक।
41 उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।
42 राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान अधिनियम 1955
विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 न्यायालय
उप पंजीयक अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी
सन्तोष देवी बनाम सुगनाराम दावा संख्या 33/2015

उपस्थित

1. श्री लोकेश शर्मा अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेश अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री कमल शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूँ)

–निर्णय–

दिनांकः–30.10.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा वाद संख्या 33/2015 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.09.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सन्तोष ने अपीलांट व शेष रेस्पोडेंट के विरूद्व विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर ग्राम सुलताना तहसील चिडावा की भूमि खसरा नम्बर 875 में वादी को 1/2 हक हिस्से में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार, खसरा नम्बर 908,909,910 में से वादीया व प्रतिवादी संख्या 7 व 8 को 1/2 हिस्से में से 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का निवेदन किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है। अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादकरण के अभाव में दावा पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य था। विचारण न्यायालय में दस्तावेजी साक्ष्य को प्रदर्शित नही करवाया गया 1970 से पहले का रिकार्ड चल रहा है उसको खुर्द बुर्द कर दिया हमे सुनवाई का अवसर मिलता तो अपना पक्ष रख सकते थे लिखावट के आधार पर जमाबंदी से नाम हजफ नही हो सकता है मेरी तामिल मेरे पुत्र ने ली है वह मेरे से अलग रहता है हम दोनों के राशन कार्ड अलग है। विचारण न्यायालय में 35 से अधिक प्रतिवादीगण के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई है जो विधि विरूद्व है वादी ने वाद कारण अंकित किया है यह स्पष्ट नही है कि वादीया को किस प्रकार इस भूमि में अधिकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

मिला। डिक्री में टेनेन्सी का स्त्रोत लिखना जरूरी है पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य आधार हीन है विचारण न्यायालय द्वारा कब्जे के सन्दर्भ में कोई विवेचन नही किया गया है। कब्जे के अभाव में घोषणा का दावा नही चल सकता है। मुझे निर्णय की जानकारी मिलते ही धारा 5 के आवेदन के साथ अपील पेश कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 909,908, 910 वादी, प्रतिवादी संख्या 7व 8, 14,15,17 से 24 की खातेदारी में आई है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.04.2015 को प्रतिवादी नम्बर 1 की तामिल हुई है जरिये रजिस्टर्डड डाक भी सम्मन भेजा गया है उसके उपरान्त 11 अवसर देकर एकतरफा कार्यवाही की गई है खसरा नम्बर 877 जतना का है जिसमें अपीलांट का कोई हक नही है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने दावा संख्या 29/15 पेश किया था यह दावा 13.07.2016 को आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज हो गया। अपीलांट का विवादित भूमि पर कब्जा नही है पारिवारिक लिखावट (बही) के अनुसार विवादित भूमि वादी के हिस्से में आई है इस पर अपीलांट के पूर्वज के हस्ताक्षर है अपीलांट इससे स्टोपटड है इस कथन की पुष्टि अपीलांट द्वारा किये गये इकरार नामों से होती है जो अपीलांट ने कब्जे अभाव में दिगर व्यक्तियों को किये है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपीलांट ने आदेश 9 नियम 13 के तहत एकतरफा कार्यवाही मनसुख करवाने का कोई प्रयास नही किया है विधि अनुसार अब अपील के स्तर पर तामिल का बिन्दु नही उठा सकते है अपील अपीलांट खारिज की जावें।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि तथाकथित ईकरारनामे की फोटो प्रति के साथ बहस की है आदेश 41 नियम 27 सीपीसी में कोई आवेदन नही किया है हमने विचारण न्यायालय की पत्रावली के आधार पर बहस की है। वादी ने उक्त इकरारनामे व दावा संख्या 29/15 के निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं

की प्रति विचारण न्यायालय में पेश करने की इसका कोई कथन नही किया है अपील स्वीकर की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में अपनाई गई तामील की प्रकिया को आक्षेपित करते हुये स्वयं की तामिल समयक नही होने का कथन किया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट के नोटिस विचारण न्यायालय में उसके पुत्र पर तामिल होकर प्राप्त हुये है उसके पश्चात जरिये रजिस्ट्री तामील भेजी गई है। इसके उपरान्त विचारण न्यायालय ने 11 तारिख पेशी पश्चात एकतरफा कार्यवाही की गई है अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश 9 नियम 13 के तहत एकतरफा कार्यवाही निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही नही की गई है। इस सन्दर्भ में इस न्यायालय का यह स्पष्ट अभिमत है कि विचारण न्यायालय के समक्ष एकतरफा कार्यवाही/तामील के विरूद्व आदेश 9 नियम 13 के तहत कार्यवाही नही करने पर अपील के स्तर पर तामीली प्रकिया के सन्दर्भ में उठाये गये प्रश्न विचार योग्य नही है केवल मात्र अपील के स्तर पर गुणावगुण पर विचार होना है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ने विचारण न्यायालय में वादी द्वारा प्रस्तुत बही की लिखावट के विरूद्व कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे असत्य साबित नही किया है। यह सही है कि यह दस्तावेज रजिस्टर्डड नही है किन्तु यह दस्तावेज 1963 का है जो दावा दायर के दिन 52 वर्ष पुराना दस्तावेज होने से विधिक प्रावधानों के अनुसार अन्यथा साक्ष्य नही होने की स्थिति में इसके सत्य होने की अवधारणा लिये जाने का प्रावधान है इस दस्तावेज पर अपीलांट के पूर्वज भगवाना के अंगुठा निशानी है भगवाना की इस सहमति से अपीलांट स्टोप्ड है। यहां यह भी विचारणीय है कि अपीलांट द्वारा किये गये इकरार नामों का हवाला रेस्पोडेंट ने वर

वक्त बहस किया है एवं अपील में इनकी प्रति भी प्रस्तुत की है। इनसे प्रथम दृष्टया विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही होने भूमि विवादित होना प्रमाणित होता है। इन इकरार नामों के सन्दर्भ में अपीलांट ने केवल मात्र यह तर्क दिया है कि यह दस्तावेज आदेश 41 नियम 27 सीपीसी. के साथ प्रस्तुत नही किये जाने से पढे जाने योग्य नही है केवल मात्र तकनिकी आधार पर रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत इकरार नामों को नही पढना नेसर्गिक न्याया के सिद्वान्त के विपरित प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त इन इकरार नामों के सन्दर्भ में अपीलांट ने कोई तर्क नही दिया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय में इन्ही भूमियों के सन्दर्भ में वादी के विरूद्व दावा बाबत खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा दावा संख्या 29/2015 प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 13.07.2016 को आदेश 9 नियम 5 सीपीसी में खारिज हुआ है। अपीलांट द्वारा इस भूमि के सन्दर्भ में प्रस्तुत उक्त वाद बाबत भी अपील के स्तर पर कोई विधिक तर्क नही दिया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पाया जाता है एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर